

# RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

## SUPPLEMENTRY INFORMATION BOOKLET

### अनुपूरक सूचना पुस्तिका

यह अनुपूरक सूचना पुस्तिका दिये गये **Self Assessment form** के साथ संलग्न सूचना पुस्तिका में वर्णित संशोधनों की जानकारी हेतू है।

1. झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहन, वसूली) नियमावली 2013 अधिसूचना संख्या 641 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या 4353 के अनुसार कर की प्रभावी तिथि 01.04.2014 के स्थान पर 01.04.2016 से प्रभावी होने की सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5350 दिनांक 24.09.2016 निर्गत किया गया है।

2. सूचना पुस्तिका में कंडिका 04 में वर्णित मापी मापदंड अब निम्न प्रकार संशोधित किये गये है।

होलिडिंग के वार्षिक किराया मूल्य कि संगणना के प्रयोजनार्थ, फर्श के क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप से संगणित की जायेगी :-

- i वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति-सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,
- ii वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति-सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,
- iii वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन/अपार्टमेन्ट-सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
- iv वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन / अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

3. सूचना पुस्तिका में कंडिका 6 में "वर्णित नियम 7 के अनुसार" धृति की दर 2.5 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
4. सूचना पुस्तिका में कंडिका 7b में उल्लेखित नियम 11.4 के संशोधित नियमानुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूमि पर Rain Water Harvesting नहीं होने पर 01.04.2017 से 1.5 गुणा करते हुए धृति कर वसूला जाएगा। Form में 7(A) में Plot size बताना अनिवार्य है।